अध्याय 7

प्रकीर्ण

1956 के अधिनियम 74 की धारा 14 का संशोधन।

132. केंद्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के खंड (iiघ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(iiघ) अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा प्रचालित चालीस हजार किलो ग्राम से कम के अधिकतम उठान द्रव्यमान के वायुयान को विक्रय किया गया विमानन टरबाइन ईंधन ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "अनुसूचित एयरलाइनों" से ऐसी एयरलाइनें अभिप्रेत हैं जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा किसी अनुसूचित वायु परिवहन सेवा का प्रचालन करने के लिए अनुज्ञात किया गया है ।' ।

1957 के अधिनियम 58 की पहली अनुसूची का संशोधन।

133. अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची का छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

2005 के अधिनियम 18 की धारा 94 का संशोधन।

134. वित्त अधिनियम, 2005 के अध्याय 7 की धारा 94 में, 1 जून, 2007 से—

(क) खंड (5) में, "और इसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार का कोई कार्यालय या स्थापन सम्मिलित है" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (8) में,—

(i) उपखंड (क) की मद (i) में, "पच्चीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पचास हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपखंड (ख) की मद (i) में, "पच्चीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पचास हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

————

अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा

मैं यह घोषणा करता हूं कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खंड 128 और खंड 129 (कराधेय सेवाओं पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर को छोड़कर) के साथ पठित खंड 105(ii), खंड 123(i), खंड 124 और खंड 126 के उपबंधों का अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन तुरंत प्रभाव होगा ।

1931 का 16

website : http//indiabudget.nic.in